

11/02/2021

पत्रावली में निम्न दिवस 25-03-2021
था। परन्तु अधिवक्ता वादी द्वारा
पत्रावली तलब करायें जाने से
भाजपेशा द्वारा अधिवक्ता व वादी
में उपाक्षित होकर उपायिता पत्र
प्रस्तुत कर निवेदन विधि है
कि वादी व प्रतिवादी ~~अर्थात्~~
के मध्य आपस में राजीनामा
हो गया है अतः वादी को
कोई आपवादी नहीं चाहता है
अधिवक्ता वादी में निवेदन विधि
पर प्रसन्न निर्णय करावे।
अधिवक्ता वादी द्वारा आपवादी
नहीं चाहते है प्रसन्न इसी
संज्ञक पर शारीक विधि जात
है पत्रावली के लिये शुकाट होकर
नम्बर से रस हो। निर्णय सुके
न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर

Id. By me,

[Signature]

द. मकरवाल

Id. By me

[Signature]



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द